दिनांक-13.12.2019 को मुख्य सचिव- सह- अध्यक्ष शाषी परिषद् की अध्यक्षता में आयोजित बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की शासी परिषद की 25 वीं बैठक की कार्यवाही

उपस्थितिः- अलग से संधारित है ।

कार्यावली बिन्दु संख्या - 01

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधीन जिलों के कार्यपालक सहायक के पैनल से कार्यपालक सहायक की सेवाएँ उपलब्ध कराए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन।

दिनांक-08.07.2019 को आहूत शासी परिषद की 23 वीं बैठक के कार्यावली बिंदु संख्या-04 पर लिए गए निर्णय के आलोक में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के आदेश ज्ञापांक-1382, दिनांक-31.07.2019 द्वारा यह आदेश निर्गत किया गया है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी अंतर्गत कार्यपालक सहायक हेतु सृजित पदों पर नियोजित एवं कार्यरत कार्यपालक सहायकों के अतिरिक्त अब नये रिक्तियों के विरूद्ध नियोजन बेल्ट्रान के माध्यम से किया जायेगा । जिस जिला अंतर्गत कार्यपालक सहायक के सृजित पदों के विरूद्ध रिक्तियां होंगी, वह जिला रिक्तियों के अनुरूप आदर्श आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करते हुये बेल्ट्रान से डाटा इन्ट्री आपरेटरों की सेवा प्राप्त करने हेतु अधियाचना करेगा। बेल्ट्रान द्वारा मांग के अनुरूप डाटा इन्ट्री आपरेटरों की सेवा उपलब्ध कराई जायेगी। बेल्ट्रान द्वारा जिलों को उपलब्ध कराये गये डाटा इन्ट्री आपरेटरों का भुगतान बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा बेल्ट्रान को किया जायेगा।

इस क्रम में पंचायती राज विभाग एवं कतिपय जिलों से प्राप्त यह अनुरोध कि सरकार द्वारा संचालित/क्रियान्वित योजनाओं के सुचारू रूप से निष्पादन हेतु जिला स्तरीय विभिन्न कार्यालयों/ विभागों की मांग के आलोक में जिला स्तरीय पैनल से कार्यपालक सहायक की सेवा उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया जाय, शासी परिषद की दिनांक-20.09.2019 को आहूत **24वीं** बैठक की कार्यावली बिंदु संख्या-06 के रूप में शासी परिषद की 23 वीं बैठक के उपरोक्त वर्णित निर्णय पर आंशिक संशोधन का प्रस्ताव रखा गया था जिस पर शासी परिषद द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-

> **"निर्णयः आगामी डेढ़ माह में बेल्ट्रान के द्वारा विभाग/जिलों की अधियाचना के आलोक में डाटा इंट्री आपरेटरों की सेवाएँ उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकतानुसार शासी परिषद की आगामी बैठक में इस प्रस्ताव को विचारार्थ रखा जाएगा।"**

हाल की समीक्षा बैठकों में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं पंचायती राज विभाग द्वारा बेल्ट्रान से डाटा इंट्री आपरेटर की सेवाएँ नहीं मिल पाने से उनके महत्वपूर्ण विभागीय कार्यों के बाधित होने का बिंदु उठाया गया है ।

उपरोक्त के आलोक में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधीन जिलों के कार्यपालक सहायक के पैनल से कार्यपालक सहायकों की सेवाएँ उपलब्ध कराए जाने के प्रस्ताव पर शासी परिषद का अनुमोदन प्रार्थित है ।

निर्णय: - अंतरिम व्यवस्था के रूप में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी के अधीन जिलों के कार्यपालक सहायक के पैनल से विभागों/ जिलों के कार्यालयों को उनकी अधियाचना के आलोक में कार्यपालक सहायकों की सेवाएँ निम्नलिखित शर्तों के साथ उपलब्ध कराई जाएगी: -

1. **यह नियोजन मात्र 3 माह के लिए होगा।**
2. **3 माह के नियोजन अवधि में इस अंतरिम व्यवस्था अंतर्गत नियोजित सभी कार्यपालक सहायकों को बेल्ट्रान द्वारा आयोजित दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। दक्षता परीक्षा का स्तर बेल्ट्रान के डाटा इंट्री आपरेटर (DEO) हेतु निर्धारित मापदंड के अनुरूप होगा।**
3. **दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण कार्यपालक सहायकों का नियोजन आवश्यकतानुसार 3 माह के उपरांत जारी रखा जा सकता है। अनुत्तीर्ण कार्यपालक सहायकों का नियोजन तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा। नियोजन के समय इस आशय का दायित्व पत्र इन नियोजित कार्यपालक सहायकों से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।**
4. **नियोजन की कार्रवाई बेल्ट्रान द्वारा उसकी सूचीकरण प्रक्रिया सम्पन्न होने तक की जा सकेगी। उसके उपरांत किसी भी प्रकार का कोई भी नियोजन जिला स्तरीय पैनल से नहीं किया जाएगा।**
5. **नियोजन की प्रक्रिया पूरी करने के साथ-साथ इन सभी नियोजित कार्यपालक सहायकों का दक्षता परीक्षा आयोजित करने हेतु जिला पदाधिकारियों द्वारा इन नियोजित कार्यपालक सहायकों का आन लाईन निबंधन हेतु बेल्ट्रान से अनुरोध किया जाएगा तथा उक्त क्रम में सभी आवश्यक कार्रवाई ससमय पूर्ण की जाएगी।**
6. **बेल्ट्रान द्वारा निर्धारित शुल्क रू.1000/- प्रति अभ्यर्थी का भुगतान बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी/ संबंधित विभाग/ संबंधित कार्यालय द्वारा किया जाएगा।**
7. **बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी का आदेश ज्ञापांक 1382 दिनांक 31.07.2019 को इस हद तक संशोधित समझा जाएगा।**

कार्यावली बिन्दु संख्या:- 02

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए लागू मोबाईल सेट क्रय/प्रतिपूर्ति की योजना में सचिव,विधि विभाग, बिहार को शामिल किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन ।

शासी परिषद की दिनांक-10.10.2018 को आयोजित बैठक की कार्यावली बिन्दु-05 एवं शासी परिषद की दिनांक-20.09.2019 को आयोजित 24 वीं बैठक के कार्यावली बिन्दु-07 के आलोक में भारतीय प्रशासनिक सेवा (बिहार संवर्ग के बिहार में पदस्थापित पदाधिकारियों) एवं बिहार प्रशासनिक सेवा (बिहार में पदस्थापित) के पदाधिकारियों को सरकारी कार्यों के निष्पादन के क्रम में सूचनाओं के आदान-प्रदान, योजनाओं के अनुश्रवण आदि हेतु सी.यू.जी. नेटवर्क अंतर्गत उपलब्ध कराये गये सीम कार्ड/अन्य सीम कार्ड का उपयोग करने हेतु 4G Support वाले मोबाईल सेट का हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा युक्त मोबाईल

सेट के क्रय पर बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा, अन्य शर्तों के अध्यधीन, अनुमान्यता के अनुसार राशि की प्रतिपूर्ति की जाती है।

बिहार सरकार में विधि विभाग के सचिव के बिहार न्यायिक सेवा का पदाधिकारी होने के कारण इस योजना का लाभ नहीं मिल पाता है जबकि उन्हें भी राज्य सरकार के महत्वपूर्ण कार्यों के संपादन हेतु 4G Support वाले मोबाईल सेट का हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा युक्त मोबाईल सेट की आवश्यकता होती है। अन्य विभागों के सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा का पदाधिकारी होने के कारण इस सुविधा से आच्छादित हैं।

उपरोक्त के आलोक में बिहार सरकार में विधि विभाग के सचिव को भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की भांति इस योजना का लाभ प्रदान किये जाने के प्रस्ताव पर शाषी परिषद् का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णय :- स्वीकृत।

बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गई।

ह०/-
(राजेश कुमार)
संयुक्त निदेशक
महानिदेशक बिपार्ड के प्रतिनिधि

ह०/-
(मदन किशोर कौशिक)
सचिव,विधि विभाग

ह०/-
(डॉ. प्रतिमा)
अपर मिशन निदेशक
बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी

ह०/-
(राहुल सिंह)
सचिव,वित्त (व्यय)
-सह-सचिव सूचना प्रावैधिकी विभाग

ह०/-
(आमिर सुबहानी)
मिशन निदेशक- सह- अपर
मुख्य सचिव सामान्य
प्रशासन विभाग

ह०/-
(दीपक कुमार)
मुख्य सचिव, बिहार

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी

(सामान्य प्रशासन विभाग)

ज्ञापांकः-बि0प्र0सु0मि0सो0/विविध-10/2019 सो0-2339 **दिनांक-**23/12/2019

प्रतिलिपिः- अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार/ प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार/ महानिदेशक,बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, बिहार/ सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग / सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार/सचिव, विधि विभाग, बिहार/ प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन को, कार्यवाही की प्रतिलिपि कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

21/12/19

अपर मिशन निदेशक

ज्ञापांकः- बि0प्र0सु0मि0सो0/विविध-10/2019 सो0-2339 दिनांक-23/12/2019

प्रतिलिपिः- मुख्य सचिव, बिहार-सह-अध्यक्ष, शासी परिषद एवं विकास आयुक्त, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

अपर मिशन निदेशक